

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226106
SG-DL-E-25032021-226106

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 371
No. 95]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943	[N. C. T. D. No. 371

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2021

संख्या 73/2020-राज्य कर

सं.फा.3(81)/वित्त(व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/287.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होंने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप-सचिव-IV(वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2021

No. 73/2020— State Tax

No. F.3 (81)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/287.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in FORM GST INV-01 on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)